BCCI BULLETIN

Vol. 53 | FEBRUARY 2022 | No.-2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

प्रभात खबर परिचर्चा : केन्द्रीय बजट पर चैम्बर में व्यापारियों और उद्यमियों ने रखी अपनी राय

इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत, बढ़ेगा कारोबार

शिक्षा का डिजिटलीकरण सराहनीय, पर आयकरदाता को राहत नहीं

केन्द्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

प्रभात खबर की ओर से बिहार चैम्बर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से दिनांक 01.01.2022 को केन्द्रीय बजट (2022–23) पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। चैम्बर सभागार में आयोजित इस परिचर्चा में शहर के उद्यमियों और कारोबारियों ने माना कि आम बजट में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। शिक्षा और रोजगार सृजन पर भी जोर है। लेकिन, इसमें बिहार के लिए अलग से कोई खास प्रावधान नहीं है। साथ ही आयकर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में छूट का स्वागत किया है।

अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का प्रयास : बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार चैम्बर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर इस बजट को देखा जाये तो कोविड महामारी के कारण देश में आयी आर्थिक मंदी से उबारने पर विशेष जोर दिया गया है। लेकिन बिहार के परिपेक्ष्य में देखा जाये तो यहाँ की आम जनता के साथ-साथ राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायियों के लिए कुछ भी नहीं है। आशा थी कि इस बार बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी, यह निराश करने वाली बात है। एक साल में 80 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण से निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण में लगे उद्योग एवं व्यवसाय लाभान्वित होंगे। शहरों में बहु-मॉडल परिवहन में सुधार व राजमार्गों को 25 हजार किमी तक बढ़ाने सहित समग्र आर्थिक विकास का ध्यान रखा गया है। परिवहन में सुधार से शहरों में रोजगार पैदा होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी।

प्रभात खबर ने बिहार चैम्बर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित की परिचर्चा

"यह बजट मुख्य रूप से आने वाले समय में समेकित विकास को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। आम जनता को आयकर में छूट को लेकर बहुत उम्मीदें थी, जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मेक इन इंडिया का निश्चित रूप से सरकार ने साकार करने का प्रयास किया है, कस्टम ड्यूटी में व्यापक फेरबदल किये गये हैं। जिससे आमजन के लिए इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं सस्ती होंगी।"

– राजेश खेतान

"देश की तरक्की के लिए संसाधनों का विकास हरित अर्थव्यवस्था को बल और डिजिटल व्यवस्था को बजट 2022 में बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा के लिए 100 चैनलों का निर्माण डिजिटल शिक्षा को सुदूर क्षेत्रों में पहुँचाएगी। बजट में 60 लाख नौकरियों का प्रावधान भी रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा होंगे। पर इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है।"

–आशीष शंकर

"इस बार भी बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं। आम बजट में मिडिल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। रोजगार, मकान व शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएँ की गयी हैं।

– गणेश खेतड़ीवाल

"आम बजट में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। कारोबार के नजरिये से दो चीजें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट अहम है। वित्त मंत्री ने इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किये। नये टैक्स भी लागू नहीं किये गये। इस बजट में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है।"

– राजेश माखरिया

"आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह सराहनीय फैसला है। इसे मार्च 2023 तक बढ़ाया जायेगा, गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल पाँच लाख करोड़ रुपये किया

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

कोरोना की सारी पाबंदियाँ बिहार में समाप्त हो गयी है। आशा है कि आपके उद्योग एवं व्यापार में कोरोना को लेकर जो समस्याएँ थीं, वो समाप्त हो गयी होंगी तथा आप अपना व्यवसाय अच्छी तरह से कर रहे होंगे। फिर भी, सावधानी अवश्य बरतेगें।

रूस एवं युक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर आर्थिक स्थिति पर तथा लोगों के दिलो–दिमाग पर पड़ रहा है।

केन्द्रीय बजट 2022–23 दिनांक 1 फरवरी, 2022 को पेश हो चुका है। **राष्ट्रीय स्तर पर इस बजट को देखा जाये तो कोविड महामारी के फलस्वरूप आयी आर्थिक मंदी से देश को उबारने पर विशेष जोर दिया गया है। अपेक्षा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी, यह निराशाजनक है। फिर भी एक साल में 80 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की योजना से निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण में लगे उद्योग एवं व्यवसाय लाभान्वित होंगे। शहरों में बहु–मॉडल परिवहन में सुधार व राजमार्गों को 25 हजार कि0मी0 तक बढ़ाने सहित समग्र आर्थिक विकास का ध्यान रखा गया है। परिवहन में सुधार से शहरों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। बजट में नयी नौकरियों का प्रावधान रखा गया है जो युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा।**

बिहार बजट 2022–23 भी 28 फरवरी, 2022 को आने वाला है। **इस बजट से भी व्यावसायियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योग के विकास हेतु बजट में विशेष फंड की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भूमि बैंक, औद्योगिक आधारभूत विकास आदि की व्यवस्था हो सके। साथ ही आईटी क्षेत्र को स्थापित करने के लिए भी विशेष फंड का प्रावधान हो। उद्योगों के विकास से ही रोजगार सहित कई समस्याओं का समाधान होगा। कोलकाता–अमृतसर इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर बिहार से हो कर गुजर रहा है। इस कोरिडोर में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने पर सरकार को आगामी बजट में विचार करना चाहिए। पर्यटन को लेकर विशेष प्रावधान की जानी चाहिए। मेडिकल टूरिज्म को राज्य में बढ़ाने हेतु बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।**

केन्द्रीय बजट 2022–23 के लाइव प्रसारण को देखने और अपनी प्रतिक्रिया हेतु चैम्बर में दिनांक 01 फरवरी, 2022 को व्यवस्था की गयी थी जिसमें काफी सदस्य आये एवं अपनी प्रतिक्रिया दी।

05 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पर विस्तृत चर्चा हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा चैम्बर प्रांगण में एक परिचर्चा आयोजित की गयी थी जिसमें **माननीय सांसद (राज्य सभा) एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी को विशेष रूप आमंत्रित किया गया था।** उक्त परिचर्चा में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज श्री अपराजित बरूआ जी को भी आमंत्रित किया गया था। **माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने बजट की बारीकियों को अच्छी तरह से समझाया ।**

माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के उद्योग मंत्री के रूप में एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनके आवास पर दिनांक 11 फरवरी, 2022 को आयोजित **“स्नेह मिलन एवं रात्रि भोज” के अवसर पर मैंने उनसे मिलकर उनका अभिनन्दन किया एवं उन्हें बधाई दी।**

मेरे नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 11 फरवरी, 2022 पुलिस महानिदेशक श्री एस0 के0 सिंघल एवं सचिव, गृह विभाग श्री के0 सैंथिल कुमार से मिला एवं राज्य की विधि–व्यवस्था के सम्बन्ध में विमर्श किया। **प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री विवेक साह सम्मिलित थे।**

माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री जिवेश कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय परिषद् बिहार की 76वीं बैठक दिनांक 2 फरवरी, 2022 को स्थानीय नियोजन भवन, पटना के सभागार में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मैं सम्मिलित हुआ था।

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के शासी निकाय की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 2022 को माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश कुमार की अध्यक्षता में नियोजन भवन, पटना के सभागार में आयोजित हुई जिसमें चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी शामिल हुए।

25 जनवरी, 2022 को पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबन्धक श्री पी0 सी0 बेहरा एवं मंडल प्रमुख श्री अभिजीत सिन्हा चैम्बर में आये और बैंकिंग सम्बन्धी निषयों पर विचार–विमर्श किया। इस विचार–विमर्श में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी उपस्थित थे।

बिजली के दरों के निर्धारण हेतु फरवरी 2022 में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्चुअल एवं भौतिक सुनवाई की। हर सुनवाई में चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष एवं उद्योग उप समिति के संयोजक श्री सुभाष पटवारी तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कमिटी के संयोजक श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा एवं अधिवक्ता श्री अर्जुन लाल ने भाग लिया।

सुनवाई के दौरान चैम्बर की ओर से 56 पृष्ठों का सुझाव/आपत्ति दर्ज कराते हुए आयोग से अनुरोध किया गया कि यदि इन सुझाओं पर अमल किया जाए तो वर्त्तमान बिजली की दरों में कमी हो सकती है। चैम्बर की ओर से यह भी अनुरोध किया गया है कि विद्युत वितरण कंपनियों के राजस्व की आवश्यकता का अनुमोदन युक्ति–संगत तरीके से की जानी चाहिए ताकि अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी बिजली की दरों में सरकार कमी करे या सब्सिडी सरकार दें जिससे राज्य के उपभोक्ताओं खासकर कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

दिनांक 16 फरवरी, 2022 को ZEE Bihar–Jharkhand की ओर से स्थानीय होटल चाणक्या, पटना में **“उद्योग संवाद”** का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा अन्य सदस्य सम्मिलित हुए। **उक्त कार्यक्रम में माननीय उद्योग मंत्री बिहार सैयद शाहनवाज हुसैन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे।**

दिनांक 24 फरवरी, 2022 को बिहार पोस्टल सर्किल द्वारा दिनांक 24–27 फरवरी, 2022 तक आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी के अवसर पर जी0पी0ओ0 परिसर में “गोरैया” पर QR कोड युक्त ऑडियो पोस्ट कार्ड का विमोचन श्री कुमार रवि भा0प्र0से0 आयुक्त, पटना प्रमंडल और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सम्मानित अतिथि के रूप में मैने किया।

महाशिवरात्रि एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

अध्यक्ष

जायेगा। यह फैसला लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए बड़ी राहत वाली बात है। साथ इ–पासपोर्ट जारी होने से लोगों को अब पासपोर्ट की समस्या से जूझना नहीं पडेगा।”

– अजय गुप्ता

“यह आम आदमी का बजट है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बार की बजट में नयी शिक्षा नीति को भी जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। बजट में कुछ एलान अच्छे हुए है। स्टील की कीमतों को कंट्रोल में करने की बात कही गयी है, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट पर पडेगा।”

– मुकेश जैन

"यह किसानों की आय को दोगुना करने वाला बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। इस बजट से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाइटेक टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को कैसे मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। बजट किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर आत्मनिर्भर भारत की सोच को पूरा करने वाला साबित होगा। पर सैलरी पाने वाले को फिर मायूसी हाथ लगी है।" **– पशुपति नाथ पांडेय**

"निवेश के लिए बड़ा बजट एलोकशन किया गया है और पहले जहाँ पाँच लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट था। इस बार उसे 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बार सड़कों, हाइवे, रोपवे से लेकर डिजिटल पढ़ाई तक पर जोर इस बजट में दिया गया है। पर इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।" **– विशाल टेकरीवाल**

"आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोरोना महामारी में एमएसएमइ के लिए एक वरदान रहा है। इसकी समय सीमा बढ़ाने और आवटन में वृद्धि एक अच्छा कदम है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमइ क्रेडिट पिछले 12 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ा है। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएँ देने के लिए पीपीपी मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा की गयी है।" **– अमित मुखर्जी**

"बजट में फिनटेक और डिजिटलीकरण पर स्पष्ट जोर नजर आ रहा है। डिजिटलीकरण, फिनटेक और लेनदेन की लागत कम करने पर स्पष्ट जोर है। एटीएम, नेटबैंकिंग, भुगतान एप के जरिये डाक बचत को अधिक सरल बनाने से वरिष्ठ नागरिकों और खासकर ग्रामीण लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं मोबाइल चार्जर, मोबाइल सस्ते होंगे।" **– सुबोध कुमार जैन**

"इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट दी है। सरकार ने बजट में खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया है। कुल मिलाकर आम बजट संतुलित बजट है। खासकर कर शिक्षा को पूरी तरह डिजिटल करना बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे भारत जैसे विकासशील देश आगे विकास की ओर और तेजी से बढ़ेगा।" **– मुकेश कुमार**

"एमएसएमइ सेक्टर में रोजगार क्षमता, इ-कौशल, रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दिया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट एण्ड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च करन की स्वागतयोग्य घोषणा। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा।" **– शशि मोहन**

"अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। छाता पर आयात शुल्क लगाया गया है जो काफी सराहनीय है। डायरेक्ट टैक्स और इन डायरेक्ट टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, यह पुराना ही रह गया है।" **– सुभाष पटवारी**

"सरकार ने इस वर्ष वेतन भोगी कर दाताओ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई राहत प्रदान नहीं की है। इस से व्यक्तिगत करदाताओं में निराशा है। कोआपरेटिव सोसाइटी के लिए न्यूनतम कर को 15 फीसदी किया गया है। उनके लिए सरचार्ज को भी घटाया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज को घटाया गया है। आयकर विवरणी में कोई आमदनी अगर छूट गयी है तो अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से उसे दर्शाया जा सकेगा।" **– आशीष अग्रवाल**

"यह बजट आम करदाताओं के उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। उनको आशा थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा और 80सी के तहत छूट का दायरा बढ़ाया जायेगा मगर बजट में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सर चार्ज की अधिकतम सीमा को 15 फीसदी कर दिया गया है, जो एक अच्छा कदम है। रिटर्न में कुछ गलती होने पर दो साल तक का समय मिलना एक सराहनीय कदम है।" **– सुनील सराफ**

चैम्बर में केन्द्रीय बजट 2022 पर परिचर्चा आयोजित

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय सांसद (राज्य सभा) एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज श्री अपराजित बरूआ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय सांसद (राज्य सभा) एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के साथ दिनांक 5 फरवरी 2022 को केन्द्रीय बजट 2022 पर परिचर्चा आयोजित की गयी।

परिचर्चा में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अपराजित बरूआ, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, डॉ० एस० एस० झा एवं डॉ० यू० सी० इस्सर सम्मिलित हुए।

बजट की बारीकियों को बताते श्री सुशील कुमार मोदी माननीय सांसद (राज्यसभा) एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार। उनकी दाँयी ओर आरओसी श्री अपराजित बरूआ, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं बाँयीं ओर आईसीएसआई की चेयरपर्सन सी.एस. रचना।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय सांसद (राज्यसभा) एवं श्री अपराजित बरूआ, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, भारत सरकार का स्वागत करते हुए बताया कि लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वित्तीय व्यवस्था। शासन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन कहाँ से आयेगा और यह धन कहाँ-कहाँ खर्च होगा इसका बजट में विस्तार पूर्वक उल्लेख होता है। यह एक बहुत ही व्यापक विषय है और सभी लोगों की समझ से बाहर होता है। इसीलिए बजट की बारीकियों को समझाने के लिए श्री मोदी जी को आमंत्रित किया है और मुझे विश्वास है कि बजट पर इनके उद्‌बोधन से सदस्य काफी लाभान्वित होंगे।

श्री मोदी ने केन्द्रीय बजट का उल्लेख करते हुए बताया कि इस साल के बजट में सबसे अच्छी चीज हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले बजट से 35 प्रतिशत अधिक साढ़े सात लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा, इससे अधिकाधिक रोजगार का सृजन होगा। राज्यों को एक लाख करोड़ बिना ब्याज का ऋण विभिन्न सेक्टरों के लिए दिया जाएगा जिसे 50 साल में लौटाना है। प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेटिव स्कीम 14 सेक्टर यानि ड्रोन, रिन्युएबल एनर्जी, सोलर पैनल, टेलिकॉम, टेक्सटाइल, सेमि कंडक्टर, एयर कंडिशनर, ऑटोकम्पोनेंट आदि में दिया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी, गॉव तक ब्रॉडबैण्ड पहुँचाने पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। स्टार्टअप पर भी विशेष बल दिया गया है। एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट फंड का प्रावधान किया गया है। इस बजट का दूरगामी प्रभाव होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस बार का बजट दुनिया से मुकाबला करने वाला बजट है।

उक्त अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री एस० के० पटवारी, श्री शशि मोहन, सुनील सराफ, सुबोध जैन, पशुपति नाथ पाण्डेय, सुषमा साहु, विवेक साह, आलोक पोद्दार, प्रदीप चौरसिया, मंजय लाल, संतोष कुमार सहित काफी संख्या में चैम्बर एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रटरीज के सदस्य तथा प्रेस प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

सीएस रचना, चेयरपर्सन, इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ परिचर्चा समाप्त हुई।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा

2022-23 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया जा सकता है। पिछड़े राज्य बिहार के लोगों की यह खास मांग है। इस संबंध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बजट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भी दिया है।

ज्ञापन में राज्य के त्वरित आर्थिक विकास से संबंधित अनेक सुझाव दिए गए हैं। राज्य को फ्रेट इक्वलाइजेशन और खनिज पर रायल्टी, राज्य में बाढ़, बिहार का तीन बार विभाजन के बाद उपयुक्त मुआवजा नहीं मिलना, मूल्य और खरीद नीतियों ने बिहार में अधिशेष अनाज उत्पादन पर ध्यान नहीं देने एवं तकनीकी प्रबंधन कौशल विकास में उत्कृष्ट केन्द्रों के अभाव के कारण बिहार को काफी नुकसान हुआ है। परिणामस्वरूप निवेश को आकर्षित करने एवं दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में बिहार सक्षम नहीं हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की नीति के पैटर्न पर बिहार के लिए भी एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की जा सकती है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(साभार, राष्ट्रीय सहारा, 1 फरवरी, 2022)

उत्तर बिहार को गैस पाइप लाइन से जोड़ा जाये व आयकर में मिले छूट

"ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी दर को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इससे युवाओं का पलायन रूकेगा। बिहार-झारखंड के उद्योग एवं व्यवसाय के हित में पटना में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) एवं इनकम टैक्स सैटलमेंट कमीशन के एक-एक बेंच की स्थापना कराया जाना चाहिए। उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाना चाहिए। टीडीएस या टीसीएस का विलंब से भुगतान पर दंड शुल्क के प्रावधान को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। आयकर में खरीद बिक्री की स्क्रीप्ट बार जानकारी देने के प्रावधान में छूट दिया जाना चाहिए। आयकर स्लैब और तर्कसंगत बने। राज्य के 26 जिलों में लगने वाले नये उद्योगों के लिए पूर्व में आयकर अधिनियम 80 1(5) के तहत तीन से पाँच साल के लिए आयकर में छूट दी गयी थी। उसे 1 अप्रैल 2004 से वापस लिया गया है, उसे पुनर्बहाल किया जाना चाहिए।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(साभार, प्रभात खबर, 31 जनवरी, 2022)

चैम्बर अध्यक्ष ने बिहार पोस्टल सर्किल द्वारा राज्यस्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी के अवसर पर ''गोंरैया'' पर QR कोड युक्त ऑडियो पोस्टकार्ड का विमोचन किया

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को अंगवस्त्र से सम्मानित करते पोस्टमास्टर जनरल अदनान अहमद।

चैम्बर अधयक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते पोस्टमास्टर जनरल अदनान अहमद ।

''गोरैया'' पर QR कोड युक्त ऑडियो पोस्ट-कार्ड का विमोचन करते श्री कुमार रवि, भा.प्र.से., आयुक्त, पटना प्रमंडल, श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पोस्टमास्टर जनरल अदनान अहमद एवं अन्य ।

''गोरैया'' के फोटो के पास खडे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, आयुक्त, पटना प्रमंडल, श्री कुमार रवि, पोस्टमास्टर जनरल अदनान अहमद एवं अन्य।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

बिहार पोस्टल सर्किल द्वारा दिनांक 24 से 27 फरवरी 2022 तक आयोजित राज्यस्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी के अवसर पर जी.पी.ओ. परिसर में दिनांक 24 फरवरी 2022 को ''गोरैया'' पर QR कोड युक्त ऑडियो पोस्ट-कार्ड का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ, पौधा एवं अंगवस्त्र देकर डाक विभाग के पोस्टमास्टर जनरल अदनान अहमद ने सम्मानित किया।

माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी को उद्योग मंत्री के रूप में एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चैम्बर अध्यक्ष ने बधाई दी

माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी को बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल

माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी के उद्योग मंत्री के रूप में एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके आवास पर दिनांक 11 फरवरी 2022 को आयोजित ''स्नेह मिलन एवं रात्रि भोज'' के अवसर पर उनका अभिनन्दन करते एवं बधाई देते करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर द्वारा जन-सुनवाई में बिहार विद्युत विनियामक आयोग को समर्पित सुझाव/समालोचना में यह बताया गया कि यदि इसे अमल में लाया जाए तो वर्तमान बिजली की दरों में कमी संभव है

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दायर याचिका की जन-सुनवाई दिनांक 15 फरवरी 2022 वर्चुअल एवं भौतिक दोनों माध्यम से हुई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोग की ओर से भौतिक रूप से 25 व्यक्ति को उपस्थित होने की अनुमति दी गयी थी एवं कोरोना काल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से सुनवाई आयोजित की गई। इसके लिए आयोग धन्यवाद का पात्र है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आयोग को 56 पृष्ठ का सुझाव/आपत्ति दर्ज कराते हुए यह अनुरोध किया गया कि यदि इस पर अमल किया जाए तो वर्तमान बिजली की टैरिफ में कमी हो सकती है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि आयोग की आज हुई वर्चुअल एवं भौतिक जन-सुनवाई में चैम्बर की ओर से संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं अधिवक्ता श्री अर्जुन लाल भाग लिए। उन्होंने आगे बताया कि हर साल की भांति इस साल भी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की ओर से दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग को याचिका दायर की गई है जिसमें अपनी आमदनी, खर्च एवं लाईन लॉस को विस्तारपूर्वक दर्शाते हुए आयोग से सभी श्रेणी के वर्तमान विद्युत दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव दिया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर की ओर से बताया गया कि चूंकि बिहार में बिजली सरप्लस है और कम कीमत पर सरेंडर करना पड़ता है इसलिए टीओडी टैरिफ के अन्तर्गत पीक आवर में जो पेनालटी का प्रावधान है उसे समाप्त किया जाना चाहिए जिससे कि उस अवधि में भी उद्यमी विद्युत का उपभोग कर सकें। उद्योगों में बिजली की खपत को बढ़ाने के लिए झारखंड एवं डीवीसी की भांति लोड फैक्टर रिबेट दिया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ के उद्यमियों को विद्युत दर में राहत मिल सकेगी एवं इससे राज्य में नये निवेशक भी आकर्षित होंगे।

श्री अग्रवाल ने बताया कि वितरण कम्पनी द्वारा आयोग को दायर टैरिफ याचिका का विस्तृत रूप से अध्ययन के लिए चैम्बर की ओर से अधिवक्ता की मदद से आयोग को 56 पृष्ठ का सुझाव/आपत्ति दर्ज करायी गयी है और यह बताया गया है कि वितरण कम्पनी के याचिका में जो डाटा दर्शाया गया है कि उसमें कहाँ-कहाँ पर त्रुटि है एवं वास्तविक खर्च से अधिक दर्शाया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि यदि चैम्बर के द्वारा दर्शाए गए त्रुटियों को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सही किया जाता है तो स्वभाविक रूप से वितरण कम्पनी का राजस्व सरप्लस हो जाएगा और वर्तमान विद्युत टैरिफ में कमी हो सकती है जिससे राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को भी काफी राहत मिलेगी।

चैम्बर की ओर से आयोग से यह भी अनुरोध किया गया है कि विद्युत वितरण कंपनियों के राजस्व की आवश्यकता का अनुमोदन युक्तिसंग तरीके से की जानी चाहिए जिससे कि अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी बिजली की दरों में कमी आए जिससे कि राज्य के विशेषकर कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

चैम्बर उपाध्यक्ष आयुक्त, पटना प्रमंडल-सह-सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार से मिले

दिनांक 08 फरवरी, 2022 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी आयुक्त पटना प्रमंडल-सह-सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार श्री कुमार रवि, भा.प्र.से. से मिले एवं उन्हें चैम्बर में पधारने की आग्रह किया जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं सचिव, गृह विभाग, बिहार से मिला

श्री एस. के. सिंघल, पुलिस महानिदेशक का पुष्पगुच्छ से अभिवादन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

श्री के. सैंथिल कुमार, सचिव, गृह विभाग (दाँये से प्रथम) से मिलने पहुँचे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 11 फरवरी, 2022 को अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री एस० के० सिंघल एवं सचिव, गृह विभाग श्री के० सैंथिल कुमार से उनके कार्यालय कक्ष, पटेल भवन में मिला। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री विवेक साह सम्मिलित थे।

बिहार के शहरों को मिल सकती है संजीवनी

- **आम बजट में टू और थ्री टीयर वाले शहरों का विकास विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा पर होगा**
- **सरकार का आकलन है कि 25 वर्षों में शहरों में देश की कुल आबादी के 50 प्रतिशत लोग रहेंगे।**

वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट में मध्यम और छोटे शहरों के विकास पर जोर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने देश के टू और थ्री टीयर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। **बिहार को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। राज्य के तमाम शहर इन्हीं दो श्रेणियों में आते हैं। खासकर राजधानी पटना के अलावा टू और थ्री टीयर की श्रेणी में आने वाले राज्य के कई अन्य शहर के सुनियोजित विकास में इससे मदद मिलेगी।**

जिला मुख्यालय से इतर भी शहरों का होगा विकास : शहरीकरण के लिए बजट में किए गए प्रबंधों का फायदा पटना को मिलेगा। पटना टू टियर वाले शहरों की श्रेणी में आता है, वहीं बिहार के अन्य शहर जो थ्री टियर में आएँगे उसमें प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय के अलावा भी कुछ शहर शामिल हो सकते हैं। **इनमें प्रमुख रूप से गया, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, बिहारशरीफ, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर समेत अन्य जिला मुख्यालय वाले शहरों को भी इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बड़े नगर परिषद् में शामिल डेहरी ऑन सोन और राजगीर भी इस दायरे में आ सकते हैं।**

आम बजट में टू और थ्री टीयर वाले शहरों को भविष्य के हिसाब से आधुनिक और व्यवस्थित सुविधाओं के साथ विकसित करने की बात कही गई है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2 फरवरी, 2022)

चैम्बर अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद्, बिहार की 76वीं बैठक में शामिल हुए

इएसआईसी की बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयी तरफ दूसरे)

दिनांक 2 फरवरी, 2022 को माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार सरकार श्री जिवेश कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय परिषद्, बिहार की 76वीं बैठक नियोजन भवन, पटना के सभागार में हुई। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल सम्मिलित हुए।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि. की जन सुनवाई में चैम्बर हुआ शामिल

जन सुनवाई में विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा शामिल श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री ए. के. पी. सिन्हा

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (NBPDCL) की जन सुनवाई दिनांक 3 फरवरी, 2022 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस जन सुनवाई में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष तथा इंडस्ट्री सब कमिटी के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व महामंत्री एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कमिटी के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा शामिल हुए।

गैर कृषि संपत्ति की बिक्री पर एक फीसद टीडीएस

• बजट में अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव • बिक्री मूल्य व स्टांप शुल्क में जो रकम ज्यादा होगी उसी पर की जाएगी टीडीएस की कटौती • अधिनियम की धारा 194-1ए में संशोधन का प्रस्ताव है • संशोधन मंजूर होने पर 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा।

सरकार ने अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए आयकर अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की गैर कृषि अचल संपत्ति को बेचने पर बिक्री मूल्य या स्टाम्प शुल्क में से जो भी अधिक हो, उसपर एक प्रतिशत टीडीएस लागू होगा।

• फिलहाल संपत्ति के मूल्य पर की जाती है यह कटौती • वित्त मंत्री ने बजट में इसमें स्टांप शुल्क का प्रावधान भी जोड़ा • 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली संपत्ति पर लागू होगी यह व्यवस्था।

(विस्तृत-राष्ट्रीय सहारा, 03 फरवरी, 2022)

वाहनों से हटेगा फास्टैग, बैंक खाते से कटेगा टोल

संसदीय समिति ने टोल टैक्स वसूलने के लिए लाखों वाहनों में लगाए गए फास्टैग को हटाने की सिफारिश की है। जल्द ही टोल टैक्स जीपीएस के जरिये सीधे बैंक खाते से लिया जाएगा। समिति का तर्क है कि यह उनके लिए मददगार साबित होगा, जो फास्टैग ऑनलाइन रिचार्ज कराने की तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। सरकार ने सुझाव पर अमल करने का आश्वासन दिया है। **(साभार, हिन्दुस्तान, 04 फरवरी, 2022)**

पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देना होगा

पुरानी और अनफिट गाड़ियों को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर वाहन चालकों को मोटरवाहन कर में 15 से 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी, गैर परिवहन वाहन यानी नान कॉमर्शियल वाहनों को मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत, जबकि परिवहन वाहन या कॉमर्शियल वाहनों को वर्तमान कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना में मोटरवाहन कर में रियायत की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। इसके अंतर्गत पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। इसके बाद वाहन चालकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जायेगा। नयी गाड़ी लेते समय यह स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर परिवहन यानी निजी वाहन के मामले में 25 प्रतिशत छूट या रियायत का उपयोग निबंधन की तारीख से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा। वहीं कॉमर्शियल परिवहन मामले में छूट का उपयोग रजिस्ट्रेशन की तारीख से आठ वर्ष तक किया जा सकेगा। **(साभार, प्रभात खबर, 3 फरवरी, 22)**

होल्डिंग और कचरा टैक्स में वसूली की शिकायत के लिए टोल फ्री नं. 18001218545 जारी

शहर में होल्डिंग और कचरा टैक्स के नाम पर होने वाली वसूली की खबर सामने आने के बाद पटना नगर निगम के अधिकारियों ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया। जन-जन से जुड़े इस मामले को लेकर नगर निगम ने शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18001218545 जारी कर दिया है। इस नंबर पर अब कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर शिकायत या फिर सुझाव भी दे सकता है। आम लोग अपनी शिकायत या फीडबैक इस ई-मेल आईडी feedback@sparrowsoftech.com पर भेज सकते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 02 फरवरी, 2022)

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के शासी निकाय की बैठक में चैम्बर के महामंत्री हुए शामिल

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के शासी निकाय की बैठक में शामिल चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी (बाँये से प्रथम)

माननीय श्रम संसाधान मंत्री, बिहार सरकार श्री जिवेश कुमार की अधयक्षता में दिनांक 3 फरवरी, 2022 को बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के शासी निकाय की बैठक नियोजन भवन, पटना के सभागार में हुई। बैठक में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सम्मिलित हुए।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2018 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक में चैम्बर सम्मिलित हुआ

दिनांक 28 जनवरी, 2022 को नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की ओर से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2018 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) की छठी बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने भाग लिया।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग के राज्य परामर्श दातृ समिति की वर्चुअल बैठक में चैम्बर शामिल हुआ

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) के State Advisory Committee (SAC) की बैठक विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28 जनवरी, 2022 को हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष तथा इंडस्ट्री सब कमिटी के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व महामंत्री एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कमिटी के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा सम्मिलित हुए।

पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबन्धक चैम्बर पदाधिकारियों से मिले

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का बूके से अभिवादन करते पीएनबी के महाप्रबंधक श्री पी. सी. बेहरा

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी का बूके से अभिवादन करते मंडल प्रमुख श्री अभिजीत सिन्हा।

विचार-विमर्श करते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं पीएनबी के अधिकारीगण।

पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबन्धक श्री पी० सी० बेहरा एवं मंडल प्रमुख श्री अभिजीत सिन्हा दिनांक 25 जनवरी, 2022 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिले एवं बैंकिंग सम्बन्धी विषयों पर विमर्श किया।

विचार-विमर्श में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी उपस्थित थे।

इस अवसर पर पी०एन०बी० के महाप्रबन्धक श्री पी० सी० बेहरा ने चैम्बर अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। पी०एन०बी० के मंडल प्रमुख श्री अभिजीत सिन्हा ने चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया।

चैम्बर की तरफ से महाप्रबन्धक एवं मंडल प्रमुख को चैम्बर का कॉफी टेबुलबुक भेंट किया गया।

रामगढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना

चैम्बर की स्थापना के अवसर पर बैठक को संबोधित करते रामगढ़वा चैम्बर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रभु प्रसाद गुप्ता एवं अन्य।

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्रीय संगठन विस्तार समिति के दिशा-निर्देशन में दिनांक 15 जनवरी, 2022 को पूर्वी चम्पारण के रामगढ़वा में रामगढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। रामगढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रथम अध्यक्ष श्री प्रभु प्रसाद गुप्ता एवं महासचिव श्री बृजेश गुप्ता ने कार्यभार संभाला।

"मेतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह प्रयास सराहनीय है। इससे व्यावसायिक एकता और सुदृढ़ होगी।"

– **पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पॉंच व्यवसायियों को ''व्यवसायी शिरोमणि सम्मान'' से सम्मानित किया

कार्यक्रम में मंचासीन सम्मानित व्यवसायीगण एवं सुपौल चैम्बर के पदाधिकारीगण

सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर के पॉंच बुजुर्ग व्यवसायियों को व्यवसायी शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया। इसके लिए 05 फरवरी, 2022 को व्यापार संघ भवन, सुपौल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष धमेन्द्र सिंह पप्पू ने की। इस दौरान शहर के बुजुर्ग व्यवसायी गौरी शंकर अग्रवाल, सत्यनारायण प्रसाद मोहनका, विश्वनाथ चौधरी, रामजी प्रसाद गुप्ता एवं पूरण प्रसाद भगत को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

सुपौल चैम्बर के अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह पप्पू ने कहा कि जिस तरह हर सरकारी सेवक का सेवा उपरान्त सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है, ठीक उसी तरह हमारे अभिभावक व्यवसायियों का भी सम्मान होना चाहिए।

"सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुजुर्ग व्यवसायियों को सम्मानित करने का कार्य प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।"

– **पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

चैम्बर के महामंत्री Zee बिहार-झारखंड द्वारा आयोजित उद्योग संवाद में हुए शामिल

उद्योग संवाद में उपस्थित चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एवं अन्य।

उद्योग संवाद में मंच पर Zee बिहार-झारखंड द्वारा प्रश्नों का उत्तर देते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी (दाँयें से प्रथम)

जी बिहार-झारखंड की ओर से स्थानीय होटल चाणक्य, पटना में दिनांक 16 जनवरी, 2022 को 'उद्योग संवाद' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सैयद शाहनवाज हुसैन उपस्थित थे।

पुराने वाहनों के स्क्रेपिंग पर मोटरवाहन कर में रियायत एवं निर्माण उपकरण वाहन के Taxation के संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या-02/कर/शुल्क-10/ 2021, परि०/658 दिनांक 1 फरवरी 2022 एवं 02/कर/शुल्क-11/ 2021, परि०/666 दिनांक 2 फरवरी 2022 की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है :-

बिहार गजट
असाधारण अंक
(बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित)
12 माघ 1943 (श०)
(सं० पटना 47) पटना, मंगलवार 1 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना (1 फरवरी 2022)

सं० 02/कर/शुल्क-10/2021, परि०/658-बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-IV के पश्चात् अनुसूची-V निम्नरूप से जोड़ा जाता है :-

अनुसूची-V

क्र० सं०	प्रयोजन	मोटरवाहन कर में रियायत
1	यदि वाहन 'निक्षेप प्रमाण-पत्र' (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो मोटरयान के निबंधन के समय यान का स्क्रेपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	गैर परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 25 प्रतिशत छूट / रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा।
		परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 15 प्रतिशत छूट / रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 8 वर्ष तक किया जा सकेगा।
2.	यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

बिहार गजट
असाधारण अंक
(बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित)
13 माघ 1943 (श०)
(सं० पटना 49) पटना, बुधवार 2 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना (2 फरवरी 2022)

सं० 02/कर/शुल्क-11/2021, परि०/666-बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा-6 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनुसूची-1 भाग-ग के क्रमांक-7 के बाद क्रमांक-8 निम्नरूप से अंत:स्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	वाहनों की श्रेणी	मोटरवाहन कर की दर
1	निर्माण उपकरण वाहन (Construction Equipment Vehicle) एवं इस कोटि के अन्य गैर परिवहन वाहन, जो किसी कोटि में अच्छादित नहीं हो।	1. वाहन के Ex-showroom Price का 6 प्रतिशत एकमुश्त कर 15 वर्षों के लिए। 2. नवीकरण हेतु बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 अनुसूची-1, भाग-क, खण्ड-'ब' में निर्धारित वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से उम्र की गणना करते हुए उपरोक्त कंडिका-1 में उद्ग्रहण किये जाने वाले कर के प्रतिशत के आधार पर वाहन कर उद्ग्रहित किया जाएगा। 3. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग-ग के क्रम संख्या-7 के अन्तर्गत निबंधित निर्माण उपकरण वाहन (Construction Equipment Vehicle) पर Ex-showroom Price का 6 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर का उद्ग्रहण किया जाएगा, परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गयी कर की राशि को अनुसूची-1 भाग-क खण्ड-ब के अनुसार घटाकर की जाएगी।

2. मोटरयान अधिनियम (यथासंशोधित), 1988/केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली (यथा संशोधित), 1989 के अन्तर्गत निर्माण उपकरण वाहनों से संबंधित परिभाषायें एवं प्रावधान यथा स्थिति लागू होंगे।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्रभावी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातें

Posted On : 01 FEB 2022 1:18 PM by PIB Delhi

केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 1 फरवरी, 2022 को संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया।

बजट की मुख्य बातें निम्न हैं -

- भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा।
- पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।
- अगले 25 साल भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है:
- पीएम गतिशक्ति
- समेकित विकास
- उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य
- निवेश को वित्तीय मदद

पीएम गतिशक्ति :

पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक **सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना हैं।**

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक, निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा।**

सड़क परिवहन

- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में **25000 किलोमीटर** का विस्तार दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए **20000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।**

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क

- 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।

रेल मार्ग

- स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए **एक स्टेशन एक उत्पाद** की संकल्पना।
- 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि **कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर** जोड़ा जाएगा।
- अगले 3 साल के दौरान 400 **उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों** का निर्माण होगा।
- अगले 3 साल के दौरान **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल** विकसित किए जाएंगे।

पर्वतमाला

- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा।
- 2022-23 में **60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं** के लिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।

समेकित विकास

कृषि

- गेहूं और धान की खरीद के लिए **1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।**
- देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।
- नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा।
- फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन'।

केन बेतवा परियोजना

- केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए **1400 करोड़** परिव्यय।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की **9.08 लाख हेक्टेयर** जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

एमएसएमई

- **उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।**
- 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया।
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को **50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़** कर दिया जाएगा।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत **2 लाख करोड़ रुपए** का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा।
- **रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम** 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।

कौशल विकास

- ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) लॉन्च किया जाएगा।
- 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा और **सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)** के लिए स्टार्टप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षा

- **पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम** को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा।
- महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और **कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना।**
- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा।
- व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य

- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच** शुरू किया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा।
- **23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क** स्थापित किया

जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस (एनआईएमएचएएनएस) होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरू (आईआईआईटीबी) इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा।

सक्षम आंगनबाड़ी

- मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को **एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे।**
- **दो लाख आंगनवाड़ियों** को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन।

हर घर, नल से जल

- हर घर, नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में **3.8 करोड़** परिवारों को शामिल करने के लिए **60,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए।

सभी के लिए आवास

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में **80 लाख** घरों को पूरा करने के लिए **48 हजार करोड़ रुपये** आवंटित किए गए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल

- पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना पीएम-डीईवीआईएनई शुरू की गई।
- इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए **1500 करोड़ रुपये** का शुरूआती आवंटन।

जीवंत ग्राम कार्यक्रम

- उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित सम्पर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम।

बैंकिंग

- **शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली** में शामिल किया जाएगा।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 **डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू)** स्थापित करेंगे।

ई-पासपोर्ट

- इम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।

शहरी नियोजन

- भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया गया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला नीति लाई जाएगी।

भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन

- भूमि के रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या।

त्वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन

- कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेन्टर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटिड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पीएसी) स्थापित।

एवीजीसी संवर्द्धन कार्य बल

- इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक **एनीमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) संवर्द्धन** कार्य बल की स्थापना।

दूरसंचार क्षेत्र

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना।

निर्यात संवर्द्धन

- **उद्यम एवं सेवा केन्द्रों** के विकास में भागीदारी बनने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

रक्षा में आत्मनिर्भरता

- 2022-23 में **घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68 प्रतिशत** निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है।
- 25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा।
- जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा।

सनराइज अवसर

- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमी-कंडक्टर और इसके इको-सिस्टम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा।

ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्रवाई

- वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत मॉड्युल्स का 280 गीगावॉट लक्ष्य हासिल करने के लिए **उच्च दक्षता के सौर मॉडयुल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।**
- ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे।
- वार्षिक रूप से 38 एमएमटी कार्बनडाई ऑक्साइड की बचत।
- किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर।
- खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी।

कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए चार पायलट परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी।

- कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता।

सार्वजनिक पूंजीगत निवेश

- 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना।
- **वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4 प्रतिशत तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया,** जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था।
- वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत रहेगा।
- केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है।

जीआईएफटी-आईएफएससी

- जीआईएफटी शहर में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए **एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र** की स्थापना की जाएगी।

संसाधनों को जुटाना

- डेटा केन्द्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा।
- उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इको-सिस्टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।
- सनराइज क्षेत्रों के लिए बलेंडिंड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉण्ड जारी किए जाएंगे।

डिजिटल रूपया

- **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपए की शुरूआत 2022-23 में की।**

राज्यों को वृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना

- पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय :
- यह परिव्यय बजट अनुमानों में 10 हजार करोड़ रुपये था, जो वर्तमान वर्ष

के लिए संशोधित अनुमानों में 15 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया।

अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है।

2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा।

राजकोषीय प्रबंधन

बजट अनुमान 2021-22 : 34.83 लाख करोड़ रुपये

संशोधित अनुमान 2021-22 : 37.70 लाख करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय : 39.45 लाख करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां : 22.84 लाख करोड़ रुपये

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 प्रतिशत (बजट अनुमानों में 6.8 प्रतिशत की तुलना में)

वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत अनुमानित।

प्रत्यक्ष कर

स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा :

- विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण।
- कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना।

नई 'अद्यतनीकृत विवरणी' का चलन शुरू करना

- अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान।
- करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरणी दाखिल करने का अवसर मिलेगा।
- अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से **दो वर्षों के भीतर** दाखिल की जा सकती है।

सहकारी समितियां

- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।
- उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को **12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत** किया गया, जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है।

दिव्यांगजनों को कर राहत

- दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता

- राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

- कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को **एक साल बढ़ाकर 31.03.2023** तक करने का प्रस्ताव।
- पहले निगमन की अवधि 31.03.2022 तक वैध।

रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन

- धारा 115 बीएबी के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को **एक साल के लिए यानी 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है।**
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई।
- किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर **30 प्रतिशत** होगी।
- इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी।
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती।
- लेन-देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस देय होगा।
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ कर देय होगा।

मुकदमा प्रबंधन

- यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालत द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिये जाने तक **टाल दिया जाए।**
- करदाताओं और विभाग के बीच दोहरायी जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में इससे काफी मदद मिलेगी।

आईएफएससी को कर प्रोत्साहन

- निम्नलिखित को निर्धारित शर्तों के साथ **कर से छूट** प्रदान की गई **:**
- विदेशी डेरीवेटिव प्रपत्रों से किसी प्रवासी को कोई आमदनी।
- किसी विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी काउंटर डेरीवेटिव्स से होने वाली आय।
- जहाज के पट्टे से मिली रायलटी एवं ब्याज आय।
- आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।

अधिभार का यौक्तिकीकरण

- एओपी (अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा **15 प्रतिशत** निर्धारित की गई है।
- व्यक्तिगत कंपनियों और एओपी के बीच अधिभार में अंतर को कम किया गया है।
- किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा **15 प्रतिशत** होगी।
- इससे स्टार्ट-अप समुदाय को नुकसान मिलेगा।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

- आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी।

कर-वंचन की रोकथाम

- तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे और प्रकट आए के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

- कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते है, इसलिए लाभ एजेंटों तक अग्रसारित किया जाएगा।
- हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव होगा, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हितलाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक न हो।

अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी में असाधारण प्रगति

- वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा और **कस्टम्स नेशनल पोर्टल** पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर, 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा।

सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में बदलाव

- फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंट लाइन कार्य किया है।

परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं

- पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत असाधारण शुल्क लगाने का प्रस्ताव। इससे घरेलू क्षेत्र और 'मेक इन इंडिया' के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेंगी, जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है।
- विशेषीकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछेक छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

सीमा शुल्क छूट एवं शुल्क सरलीकरण की समीक्षा

- 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है।

  विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं शुल्क दर संरचना सरल हो जाएंगी और विवाद कम हो जाएगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित की जाती है या की जा सकती है उनके लिए छूट हटाने से और अर्धनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

क्षेत्र विशेष प्रस्ताव

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र

- देश में पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा।
- देश में ज्यादा वृद्धि दर वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफॉर्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्युल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाएगी।

रत्न एवं आभूषण

- रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है। केवल तराशे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
- ई-कॉमर्स के जरिए आभषूण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी।
- कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात हतोत्साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम-से-कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा।

रसायन

- कुछ महत्वपूर्ण रसायनों यथा मेथानॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवीफीड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है। देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है- इससे देश में मूल्यवर्द्धन करने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई

- छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छतरी के कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है।
- भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।
- पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब एक साल और दी जाएगी, ताकि एमएसएमई से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिल सके।
- स्टेनलेस स्टील एवं इस्पात के कोटेड चौरस उत्पादों, एलॉय स्टील एवं हाई-स्पीड स्टील की छड़ों पर कुछ एंटी-डंपिंग शुल्क एवं सीवीडी को वापस लिया जा रहा है, ताकि जन हित में इस धातु की मौजूदा ऊंची कीमतों से निपटा जा सके।

निर्यात

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं जैसे कि फास्टनर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग मैटेरियल, विशेष चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स एवं पैकेजिंग बॉक्स पर छूट दी जा रही हैं।
- झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है, ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क संबंधी उपाय

- गैर-मिश्रित ईंधान पर 1 अक्टूबर, 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक **उत्पाद शुल्क** लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। (Release I.D. 17942007)

तीन सालों में 400 सेमी हाई स्पीड नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट से रेल यात्रियों को 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। स्वदेशी तकनीक व आधुनिक सुविधा से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से मुंबई, कोलकाता, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई आदि प्रमुख शहरों के बीच दौड़ेंगी। उल्लेखनीय है कि एक वस्तु, एक स्टेशन विकास योजना के जरिए रेलवे पहली बार लाखों युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगा। वहीं, उद्यमियों-व्यापारियों के व्यापार को पंख लगेंगे। अगले तीन सालों में यह 400 ट्रेनें चलाई जाएगी। अभी सिर्फ दो ऐसी ट्रेन ही संचालन में है।

ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर रोकेगी कवच तकनीक : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कवच तकनीक ट्रेनों की आमने-सामने होने वाली टक्कर रोकेगी। इससे यात्री ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित बनेगा। इस तकनीक को अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका की रेलवे को आपूर्ति करने की योजना है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई वर्जन की होंगी। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के बुनियादी ढांचा के विकास के लिए पर्याप्त धन दिया है। रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय दो लाख 40 हजार करोड़ आवंटित किए हैं। एक लाख 40 हजार करोड़ बजटीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इससे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत स्टेशनों का कायाकल्प किया जा सकेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 02 फरवरी, 2022)

पटना-बागडोगरा विमान सेवा प्रारम्भ करने की मांग

चैम्बर ने पटना से बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) हेतु विमान सेवा प्रारम्भ करने की मांग श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, माननीय नागर विमानन मंत्री, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, महाप्रबन्धक, एयर इंडिया लि., निदेशक, स्पाइस जेट लि., मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गो एयरलाइन्स (इंडिया) लि. एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडिगो से पत्र द्वारा की है।

चैम्बर ने यह मांग उद्यमियों, व्यापारियों सहित आम जनता के हित को लेकर की है।

चैम्बर ने राजेन्द्र सेतु मोकामा के शीघ्र मरम्मती का कार्य पूर्ण करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से रेलवे पर दबाव बनाने का आग्रह किया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पत्र लिखकर राजेन्द्र सेतु, मोकामा के शीघ्र मरम्मति हेतु रेलवे पर दबाव बनाने हेतु अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बेगूसराय से आग्रह किया है ताकि राजेन्द्र सेतु से मालवाहक वाहनों के आवागमन का अवरोध दूर हो सके।

चैम्बर में माप-तौल विभाग का शिविर आयोजित

शिविर में माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकण कराते व्यवसायीगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 10 फरवरी, 2022 को माप-तौल विभाग, पटना सदर का शिविर आयोजित हुआ। शिविर में काफी व्यवसायियों ने अपने माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकण कराया।

फतुहा-इस्लामपुर-शेखपूरा रेलखंड को 525 करोड़

केंद्रीय बजट में कोडरमा-तिलैया रेलखंड के लिए 275 करोड़ आवंटित किए गये हैं। हाजीपुर-सुगौली वाया वैशाली रेलखंड को 100 करोड़ दिये गये हैं। फतुहा-इस्लामपुर, नेऊरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा- शेखपुरा लाइन के लिए 525 करोड़ आवंटित किए गये हैं। इस परियोजना के पूरा होने में अब राशि की कमी नहीं होगी।

एक नजर में :

• 1328 करोड़ नई रेल लाइन के लिए • 620 करोड़ रेल पथ नवीकरण को • 563 करोड़ दोहरी लाइन के लिए • 164 करोड़ आमान परिवर्तन में • 162 करोड़ यात्रियों की सुविधा पर • 105 करोड़ कारखानों पर खर्च होंगे।

2 हजार करोड़ का निवेश : नई लाइन में पारसनाथ-मधुबन-गिरिडीह, धनबाद-चंद्रपुरा-निचितपुर, झाझा-बटिया पर काम होगा। सोननगर-दानकुनी के बीच नई लाइन के निर्माण कार्य मद में पार्टनरशिप के तहत 2000 करोड़ का निवेश होगा। आमान परिवर्तन में मानसी-सहरसा-दोरम-मधेपुरा-पूर्णिया को 25 करोड़, जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज को 40 करोड़, सकरी-लौकहा बाजार- निर्मली-सहरसा-फारबिसगंज को 101 करोड़ आवंटित किये गये हैं। जबकि दोहरी लाइन में करैला रोड-शक्तिनगर को 150 करोड़, रामपुर डुमरा-ताल- राजेन्द्र पुल को 400 करोड़, रामना-सिंगरौली को 250 करोड़, धनबाद-सोननगर तीसरी लाइन मद में 800 करोड़ आवंटित है। समस्तीपुर-दरभंगा को 50 करोड़, किउल-गया रेलखंड के लिए 59 करोड़ दिये गये हैं। दोहरीकरण में सुगौली- वाल्मीकिनगर को 130 करोड़ मिले हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3 फरवरी, 2022)**

अलर्ट : आपका खाता खाली कर सकता है 'एनीडेस्क'

अगर आप एनीडेस्क या टीम व्युअर जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें। ये सॉफ्टवेयर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। महामारी के दौरान बढ़ते साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे सावधान रहने की सलाह दी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 08 फरवरी, 2022)**

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Amit Mukherji Indian M/s Standard Industries 35, New Market Patna - 800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296